न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2016

अपीलांट
रामाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट
निवासी जाट धोलाडेर (सणपा मानजी)
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस
1. जूंझाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी जाट धोलाडेर (सणपा मानजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 11.12.2010 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांट की ओर से श्री विष्णू चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 1 की ओर से श्री उगराराम सारण।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 19.04.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45 रकबा 78 बीघा 16 विस्वा सरहद मौजा धोलाडेर पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील बायतु में आई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंट सं. 01 ने अपीलांट कें अनपढ़ होनें का नाजायज फायदा उठाकर एवं अपीलांट को धोखे में रखकर, उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा बिना अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के हल्का पटवारी से मिलीभगत कर तहसीलदार बायतु से अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2010 प्रशासन गांवो के संग अभ्यिान 2010 में पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.9.2016 को जवाब पेश कर जाहिर किया कि मौजा धोलाडेर के खसरा नंबर 45 रकबा 78 बीघा 16 विस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बंटवाड़ा हो रखा है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किये गये। तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है।

4. हमने उभयं पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान 20 दिन पूर्व ही हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि ग्राम धोलाडेर की विवादित आराजी खसरा नंबर 45 रकबा 78 बीघा 16 विस्वा का नये सिरे से पक्षकारान के मौक पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किये जाने पर उसे कोई आपति नहीं है।

6. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 11.12.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 45 रकबा 78 बीघा 16 विस्वा मौजा धोलाडेर तहसील बायतु में आई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने अपनी उक्त संयुक्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2010 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.4.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)